न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./31/2021/जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
गेनसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम डांगरी, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर।	1. श्रीमान जिला कलेक्टर, जैसलमेर 2. श्रीमान तहसीलदार, फतेहगढ़।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2021 बउनवान गेनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री मोहम्मद अली अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों. की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांकः–17.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम भीखसर, तहसील फतेहगढ के खसरा संख्या 714 व 714/534 कुल रकबा 117 बीघा में से 23.00 बीघा भूमि वादी के कब्जा–काश्त की आई हुई है। समरी बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि जैसलमेर रियासत के अधीन थी और जैसलमेर में स्थित तत्कालीन जागीरदार की जागीरी में थी। उक्त भूमि का सर्वप्रथम समरी बंदोबस्त संवत 2014 में राज्य सरकार द्वारा करवाया गया था कि जो लोग अपनी भूमि पर काबिज काश्त थे उनका नाम समरी बंदोबस्त में उनके बताये अनुसार इन्द्राजात किये गये। अपीलकर्ता व उसके पूर्वज उक्त समरी बंदोबस्त के समय मौके पर नहीं होने से उनका नाम समरी बंदोबस्त के रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ। जब अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर किया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर इसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम भीखसर, तहसील फतेहगढ के खसरा संख्या 714 व 714/534 कुल रकबा 117 बीघा में से 23.00 बीघा भूमि वादी के कब्जा–काश्त की आई हुई है। जैसलमेर जिले में समरी बंदोबस्त से पूर्व कोई बंदोबस्त नहीं था। वादी के पूर्वजों के कब्जा–काश्त में से 6 हल भूमि वादी के कब्जा–काश्त चली आ रही है। उक्त भूमि समरी बंदोबस्त में सहवन से वादी के खातेदारी में इन्द्राज नहीं हो सकी थी। वादी के पिता अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर काश्त करते थे, जिस हेतु लगान के तौर पर फसल का 1/6 भाग देशी रियासत में अदा करते थे। वादी को उसके पिता गोविन्दसिंह द्वारा उक्त भूमि भरण पोषण हेतु दी गई थी। तभी से उक्त भूमि पर कब्जा–काश्त निर्विवाद रूप से अपीलांट का चला आ रहा है। समरी बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि जैसलमेर रियासत के अधीन थी और जैसलमेर में स्थित तत्कालीन जागीरदार की जागीरी में थी। उक्त भूमि का सर्वप्रथम समरी बंदोबस्त संवत 2014 में राज्य सरकार द्वारा करवाया गया था कि जो लोग अपनी भूमि पर काबिज काश्त थे उनका नाम समरी बंदोबस्त में, उनके बताये अनुसार इन्द्राजात किये गये। अपीलकर्ता व उसके पूर्वज उक्त समरी बंदोबस्त के समय मौके पर नहीं होने से उनका नाम समरी बंदोबस्त के रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ। तत्पश्चात् संवत 2021–22 में सर्वेप्रथम भू–प्रबंध विभाग द्वारा जैसलमेर जिले की भूमियों की पैमाईश भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गयी थी। उक्त पैमाईश के दौरान वादी के पिता गोविन्दसिंह उपस्थित होकर अपने कब्जा–काश्त की भूमि हाल खसरा संख्या 714 रकबा 35 बीघा भूमि गोविन्दसिंह के कब्जा–काश्त की थी उसके संबंध में यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त खेत का पर्चा लगान कायम होने पर जारी कर दिया जावेगा। उक्त पर्चा लगान जारी करने के आश्वासन देने के उपरान्त हाल खसरा संख्या 714 रकबा 197–09 बीघा संपूर्ण चक को सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है। जबकि उक्त खसरा संख्या 714 व 714/534 में से 23 बीघा भूमि का वादी/अपीलांट अपनी खातेदारी इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय ने समरी बंदोबस्त एवं नियमित बंदोबस्त के रेकर्ड को ठीक से समझे बिना ही फैसला कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के तहत काबिज काश्त व्यक्ति के स्वत्व निहित होने की उपधारणा की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जानी चाहिये थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर वाद को पोषणीयता के आधार पर खारिज किया गया है जबकि अपीलांट का वाद घोषणात्मक व निषेधाज्ञा का है जिसमें एडवर्स पजेशन के संबंध में कोई रिलीफ नहीं चाही गई है फिर वाद को पोषणीयता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश विधि संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली रिमाण्ड फरमायी जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1- RL NO.2006(3)PAGE NO.- 2288
2- RRT 2006(2)PAGE NO.-802
3- (1977)RRD PAGE NO.-368
4- RRT 2024 PAGE NO.-887(HC)

वकील अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना–पत्र के साथ खसरा परिवर्तनशील सवंत् 2058 एवं संवत 2064 पेश की। जिस पर राजकीय अधिवक्ता को आपत्ति नहीं है। अतः रिकार्ड पर लिया जाकर सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर किसी काश्तकार का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी काबिज काश्तकार को दी गई। अपीलांट/वादी स्वयं अपने कथनों में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वक्त समरी बंदोबस्त वह स्वयं या उनके पूर्वज मौके पर उपस्थित नहीं होने से इंद्राज नहीं हो सका। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपत्तियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए अब अपीलांट का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी दर्ज किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वक्त सामरी बंदोबस्त एवं स्थाई बंदोबस्त के अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं था। अपीलांट के कथनों से ही साफ स्पष्ट हो रहा है कि सामरी बंदोबस्त के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे। स्थाई बंदोबस्त में अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त नहीं था इसलिए खातेदारी में इन्द्राज नहीं किया गया। भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दावे को पोषणीयता के आधार पर खारिज किया जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं विधिक बिंदुओं के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 21/2021 बउनवान गेनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

17/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर